ए.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम

अरविंद इलेक्ट्रोनिक्स पी. वी. टी. लिमिटेड। (2022 की सिविल अपील संख्या 6954) 04 नवंबर, 2022

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

बैंक/बैंकिंगः एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस)-कोई भी उधारकर्ता एकमुश्त निपटान योजना के लाभ के लिए अनुदान के लिए सही अनुरोध के रूप में अनुरोध नहीं कर सकता है-उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के <आईडी1] का उपयोग करते हुए कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है, जिसमें वित्तीय संस्थान/बैंक को ऋणकर्ता को सकारात्मक रूप से ओटीएस का लाभ देने का निर्देश दिया गया है-ओटीएस योजना का लाभ अनुदान पात्रता मानदंडों और समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अधीन है-तत्काल मामले में, भारतीय स्टेट बैंक ने उधारकर्ता के पक्ष में नकद क्रेडिट को मंजूरी दी जिसे 2015 में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था-बैंक ओटीएस योजना के साथ आया जो 6 महीने के भीतर भुगतान करने के लिए प्रदान की गई थी-बैंक ने उधारकर्ता को ओटीएस प्रस्ताव भेजा जो थायह एक स्वीकृत स्थिति है कि उधारकर्ता ने स्वीकृत ओ. टी. एस. योजना के तहत देय और देय भुगतान स्वीकृत पत्र में उल्लिखित तिथि को या उससे पहले नहीं किया था-यहां तक कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान भी, बैंक द्वारा तीन अलग-अलग ओ. टी. एस. योजनाएं शुरू की गई थीं और उधारकर्ता को पेश की गई थीं जिन्हें उसने अस्वीकार कर दिया था-ओ. टी. एस. योजना के तहत भुगतान का पुनर्निर्धारण केवल उधारकर्ता और बैंक यू/एस की पारस्परिक सहमति से किया जा सकता है।62 अनुबंध अधिनियम-उच्च न्यायालय का आदेश अस्थिर है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

जी.

अभिनिर्धारित किया कि **1.** बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड**,** बिजनौर और अन्य बनाम मीनल अग्रवाल के मामले में यह देखा गया

और इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि**, (i)** कोई भी उधारकर्ता**,** अधिकार के मामले के रूप में**,** एकमुश्त निपटान योजना के लाभ के लिए अनुदान के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है**; (ii)** उच्च न्यायालय द्वारा ए**.**

एच.

1073

1074 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 13 एस. सी. आर.

भारत के संविधान के अनुच्छेद **226** का प्रयोग**,** वित्तीय संस्थान/बैंक को ऋणकर्ता को सकारात्मक रूप से ओटीएस का लाभ देने का निर्देश देना**; (iii)** ओटीएस योजना का लाभ अनुदान पात्रता मानदंडों और समय**-**समय पर जारी दिशा**-**निर्देशों के अधीन है।**[**अनुच्छेद **6.1** और **6.4] [1081-**बी**-**सी**]**

बिजनौर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बिजनौर और अन्य बनाम मीनल अग्रवाल और अन्य, (2021) एस. सी. सी.

बी.

ऑनलाइन एससी **1255-**पर भरोसा किया गया।

2. वर्तमान मामले में दिनांक **21.11.2017** के स्वीकृत पत्र में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया था कि पूरा भुगतान **21.05.2018** द्वारा किया जाए।किश्तों के तहत भुगतान करने की अनुसूची का भी उल्लेख किया गया था।यह एक स्वीकृत स्थिति है कि उधारकर्ता ने स्वीकृत पत्र में उल्लिखित तिथि को या उससे पहले स्वीकृत ओटीएस योजना के तहत देय और देय भुगतान नहीं किया था।नौ महीने के विस्तार के लिए उधारकर्ता की प्रार्थना को **16.05.2018** पर खारिज कर दिया गया और उधारकर्ता को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। **21.05.2018** द्वारा **2.52** करोड़**,** उधारकर्ता भुगतान करने में विफल रहा।इस स्तर पर**,** यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान बैंक द्वारा तीन अलग**-**अलग ओटीएस जारी किए गए थे और बैंक ने प्रतिवादी उधारकर्ता को ओटीएस योजना के तहत बकाया भुगतान का निपटान करने की पेशकश की थी।हालांकि**,** उधारकर्ता ने किसी भी योजना का विकल्प नहीं चुना।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने **10.03.2022** से छह सप्ताह का और समय दिया है जो वर्ष **2018** में उधारकर्ता द्वारा अनुरोध किए गए समय से भी अधिक होगा।अन्यथा बैंक की ओर से ओ**.** टी**.** एस**.** के तहत भुगतान को पुनर्निर्धारित करने का निर्देश देना अनुबंध में संशोधन के समान होगा जो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा **62** के तहत आपसी सहमति से किया जा सकता है।

विवादित निर्णय और आदेश द्वारा ओ**.** टी**.** एस**.** योजना के तहत भुगतान को पुनर्निर्धारित करना और समय का विस्तार देना उस अनुबंध को फिर से लिखने के समान होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय अनुमत नहीं है।**[**पैरा **6.5] [1081-**जी**-**एच**; 1082-**ए**-**डी**]** ए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1075

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम अरविंद इलेक्ट्रानिक्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2022 की सिविल अपील संख्या 6954।

2018 के सी. डब्ल्यू. पी. No.12953 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, अर्जुन भाटिया, सुश्री अक्षता जोशी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

बी.

डी. पी. सिंह, सुश्री सोनम गुप्ता, बाहुली शर्मा, तरणजीत सिंह, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

सी.

1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2018 के सी. डब्ल्यू. पी. आई. डी. 2 में चंडीगढ़ में पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय ने मूल रिट याचिकाकर्ता को शेष राशि (रु. ओ. टी. एस. दिनांक 21.09.2017 के स्वीकृत पत्र के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

डी.

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

ई.

2.1 कि भारतीय स्टेट बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) ने प्रतिवादी-अरविंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'उधारकर्ता' के रूप में संदर्भित) के पक्ष में नकद ऋण को मंजूरी दी।2012 में, उधारकर्ता के खाते को 2015 में एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया था।बैंक ने एकमुश्त निपटान (इसके बाद 'ओटीएस योजना' के रूप में संदर्भित) दिनांक 01.09.2017 जारी किया।ओ. टी. एस. विशेष रूप से मंजूरी की तारीख से छह महीने के भीतर ओ. टी. एस. योजना के तहत भुगतान करने के लिए प्रदान किया जाता है, अन्यथा निष्फल।बैंक ने उधारकर्ता को ओटीएस के लिए ओटीएस प्रस्ताव भेजा और 31.03.2017 पर बकाया खाता Rs.13,99,89,273.99 था।ओटीएस के तहत देय राशि Rs.10,53,75,069.74 थी।उधारकर्ता ने ओटीएस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और रुपये की राशि जमा कर दी। 31.10.2017 पर बैंक के साथ 1.4 करोड़।

एफ.

जी.

2.2 बैंक ने ओ. टी. एस. को मंजूरी दी और रु. 1. 40 करोड़।स्वीकृत ओ. टी. एस. के तहत उधारकर्ता को ओ. टी. एस. राशि का 25 प्रतिशत 21.12.2017 द्वारा जमा करना आवश्यक था और शेष राशि को पत्र की तारीख से 21.05.2018 तक छह महीने के भीतर जमा करना आवश्यक था।

एच.

ए.

ब्याज।उधारकर्ता को यह भी सूचित किया गया कि ओ. टी. एस. के तहत निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान न करने पर ओ. टी. एस. निष्फल हो जाएगा।उधारकर्ता ने 31.12.2017/21.05.2018 पर रु. 4,51,45,000/- की राशि जमा की।उधारकर्ता रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत/प्रतिबद्ध है। आई. डी. 1 पर 3 करोड़ 50 लाख रुपये का भुगतान किया गया और शेष राशि के पुनर्भुगतान के लिए 8 से 9 महीने के विस्तार का अनुरोध किया। 2. 50 करोड़।बैंक ने 9 महीने के विस्तार को अस्वीकार कर दिया और उधारकर्ता को 21.05.2018 द्वारा 2.52 करोड़ का भुगतान करने का निर्देश दिया।दुखी

महसूस करते हुए उधारकर्ता ने 8 से 9 महीने की अवधि बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की ताकि बकाया राशि का भुगतान किया जा सके। 2. 50 करोड़ से अधिक 21.05.2018।

बी.

सी.

2.3 इसके बाद बैंक ने रुपये के बकाया भुगतान के निपटान के लिए एक और ओटीएस योजना शुरू की।हालांकि, उधारकर्ता ने उक्त योजना का विकल्प नहीं चुना।इसके बाद वर्ष 2019 में बैंक द्वारा एक और ओ. टी. एस. योजना शुरू की गई और बैंक ने उधारकर्ता को रु. 953/- की राशि के लिए खाते का निपटान करने का प्रस्ताव दिया। 5,98,39,614/-।उधारकर्ता ने फिर से योजना का विकल्प नहीं चुना।यहां तक कि एक और ओटीएस योजना भी शुरू की गई थी जो उधारकर्ता को दी गई थी और उधारकर्ता ने योजना का विकल्प नहीं चुना था।24.02.2021 दिनांकित संचार के माध्यम से बैंक ने रुपये के ओटीएस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बैंक के अनुसार उधारकर्ता पर 2 करोड़ 50 लाख रुपये बकाया था। 23.54 करोड़।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने रुपये के ओ. टी. एस. प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए दिनांकित 24.02.2021 संचार को रद्द कर दिया है। ऋणकर्ता द्वारा 2 करोड़ 5 लाख रुपये का भुगतान किया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से ऋणकर्ता को 5 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए छह सप्ताह का और समय दिया गया है। दिनांक 21.09.2017 के ओ. टी. एस. स्वीकृत पत्र के अनुसार ब्याज के साथ 2 करोड़ 20 लाख रुपये।2.4 ओ. टी. एस. योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उधारकर्ता को और छह सप्ताह का समय देने वाले उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए बैंक ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

3. बैंक की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री संजय कपूर ने जोरदार ढंग से कहा कि उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2017 में देय और देय शेष राशि का भुगतान करने के लिए उधारकर्ता को और छह सप्ताह का समय देने में बहुत गंभीर त्रुटि की है।

एच.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम अरविंद इलेक्ट्रानिक्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

3.1 श्री कपूर, बिजनौर शहरी के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए बैंक की ओर से पेश हुए विद्वान वकील

सहकारी बैंक लिमिटेड, बिजनौर और अन्य बनाम मीनल

अग्रवाल और अन्य, (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1255 ने प्रस्तुत किया है कि जैसा कि इस न्यायालय ने देखा और अभिनिर्धारित किया है, ओ. टी. एस. योजना के लाभ के अनुदान को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और यह हमेशा योजना में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में उधारकर्ता को ओ. टी. एस. के नियमों और शर्तों को पूरा करना आवश्यक था और ओ. टी. एस. के स्वीकृत पत्र में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार भुगतान करना आवश्यक था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्वीकृत ओ. टी. एस. योजना के अनुसार भुगतान करने से कोई भी विचलन, दिनांक 21.11.2017 के अनुमोदन पत्र के अनुसार, ओ. टी. एस. मंजूरी को निष्फल बना देगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वीकृत योजना और/या दिनांकित मंजूरी पत्र को और समय नहीं देना चाहिए था और वह भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए।

बी.

सी.

डी.

3.2 बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री कपूर ने प्रस्तुत किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत माननीय उच्च न्यायालय ओटीएस के तहत भुगतान को पुनर्निर्धारित करने का निर्देश नहीं दे सकता है क्योंकि यह अनुबंध में संशोधन के बराबर है जो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 62 के तहत आपसी सहमति से किया जा सकता है।

ई.

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय को यह स्वीकार करना चाहिए था कि ओ. टी. एस. में कोई सार्वजनिक तत्व शामिल नहीं है और ओ. टी. एस. गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-विवेकाधीन है और सभी उधारकर्ताओं के लिए समान रूप से लागू होगा।

3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित निर्णय और आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने अनुबंध को फिर से लिखा है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमत नहीं है।

एफ.

3.5 बैंक की ओर से पेश विद्वान वकील ने आगे कहा कि हालांकि बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड **(**उपरोक्त**)** के मामले में निर्णय उच्च न्यायालय को इंगित किया गया था**,** लेकिन उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए उक्त बाध्यकारी निर्णय का पालन नहीं किया है कि सरदार एसोसिएट्स के मामले में इस न्यायालय का पहले का निर्णय

जी.

बनाम पंजाब एंड सिंध बैंक और अन्य, (2009) 8 एस. सी. सी. 257 अधिक है।

विस्तृत और सटीक।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तथ्य के अलावा कि सरदार एसोसिएट्स (उपरोक्त) के मामले में शामिल मुद्दा पूरी तरह से था

एच.

इसके विपरीत**,** बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड **(**उपरोक्त**)** के मामले में निर्णय बाद का है और इस बिंदु पर यह उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी था और उच्च न्यायालय को इसका पालन करना चाहिए था।

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और इस निर्णय पर भरोसा करना

बी.

बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में न्यायालय,

यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए।

4. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री डी. पी. सिंह ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।

सी.

4.1 उधारकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता एक राज्य होने के नाते निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए कर्तव्यबद्ध है और बैंक की कोई भी मनमाना कार्रवाई उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में बैंक ने मनमाने ढंग से और बिना उचित कारण या स्पष्टीकरण के अन्य उधारकर्ताओं को ओटीएस के विस्तार का लाभ देते हुए विस्तार के लिए प्रतिवादी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

डी.

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक के अनुसार इनकार इसलिए किया गया था क्योंकि ओटीएस गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण है।हालांकि, साथ ही बैंक ऐसे अन्य उधारकर्ताओं को भी समय दे रहा है, जिन्हें समान रूप से उत्तरदाताओं के लिए रखा गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए बैंक द्वारा समान रूप से रखे गए उधारकर्ताओं के साथ अंतर व्यवहार एक मनमाना कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं है और इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से उधारकर्ता को ओटीएस योजना के तहत शेष राशि का भुगतान करने के लिए और छह सप्ताह का समय दिया है।

ई.

एफ.

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक की कार्रवाई भी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की भावना के विपरीत है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक ने किसी भी नीति के तहत या किसी भी ओटीएस योजना के तहत कोई पात्रता मानदंड निर्धारित नहीं किया है जिसके तहत वह विस्तार दे सकता है या नहीं कर सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की भावना के विपरीत है, विशेष रूप से क्योंकि अनुसूचित बैंकों में से एक ने पहले ही ऐसी प्रकृति का एक मानदंड निर्धारित कर लिया है, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा अनु भल्ला और अन्य बनाम अनु भल्ला के मामले में भी विचार किया गया है।

जी.

जिला मजिस्ट्रेट, पठानकोट और अन्य, (2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच.

4387), वह निर्णय जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया हो।यह ए है।

एच.

1079

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम अरविंद इलेक्ट्रानिक्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

प्रस्तुत किया कि इस प्रकार, किसी भी मानदंड और बैंक द्वारा मनमाने ढंग से अस्वीकृति के अभाव में, माननीय उच्च न्यायालय ने समय बढ़ाने के लिए प्रत्यर्थी-उधारकर्ता की प्रार्थना को उचित रूप से अनुमति दी है।

4.5 अनु भल्ला (ऊपर) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और सरदार एसोसिएट्स (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, प्रत्यर्थी-उधारकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ओटीएस के तहत समय अवधि बढ़ाने की शक्तियां हैं।

बी.

4.6 प्रत्यर्थी-उधारकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी, विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा सुसंगत दृष्टिकोण लिया गया है कि उच्च न्यायालय बैंकों द्वारा की गई कार्रवाइयों की न्यायसंगतता पर विचार करता है।

सी.

4.7 प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने उचित रूप से कहा है कि बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस माननीय न्यायालय का निर्णय अलग है क्योंकि यह ओटीएस के अनुदान के मुद्दे से संबंधित है और एक बार ओटीएस दिए जाने और पक्षों द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद समय बढ़ाने से संबंधित नहीं है।

डी.

4.8 प्रत्यर्थी-उधारकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि इक्विटी प्रत्यर्थी के पक्ष में हैं।उपरोक्त के समर्थन में यह प्रस्तुत किया जाता है कि

ई.

(i) प्रत्यर्थी ने अपने आवासीय प्रतिष्ठान को बेचकर निर्धारित समय के भीतर ओ. टी. एस. राशि का 80 प्रतिशत यानी आई. एन. आर. <आई. डी. 1,000/- का भुगतान किया;

एफ.

(ii) उपरोक्त के अलावा, अपीलार्थी-बैंक को 3,50 करोड़ रुपये के लंबित बंधक ग्रहणाधिकार को मंजूरी दी गई;

(iii) प्रत्यर्थी-उधारकर्ता ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में अपनी हिस्सेदारी का 31 प्रतिशत बेच दिया और अपीलार्थी-बैंक को ओ. टी. एस. राशि चुकाने के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपये के अग्रिम का उपयोग किया।

जी.

((iv) शेष राशि अन्य संपत्ति की बिक्री से आनी थी और इसलिए केवल इसी आधार पर विस्तार की मांग की गई थी जो बैंक के अधिकारियों की जानकारी में था।

एच.

(v) प्रत्यर्थी-उधारकर्ता एक एमएसएमई है और उसके पास आवश्यक कानूनी ढांचा नहीं है जो चूक करने वाले पक्षों से अपने बकाया की वसूली के लिए एसएआरएफईएसआई अधिनियम की तरह कुशल/प्रभावी है;

4.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने ब्याज के साथ पूरी राशि का भुगतान कर दिया है और इस माननीय न्यायालय या बैंक को लागू करने के लिए उचित समझते हुए आगे उचित ब्याज का भुगतान करने के लिए तैयार है जो अपीलकर्ता-बैंक और प्रत्यर्थी-उधारकर्ता दोनों को संतुलित करेगा।उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और सरदार एसोसिएट्स (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय और अनु भल्ला (उपरोक्त) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और कुछ उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।5. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान परामर्श को विस्तार से सुना। 6. शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-उधारकर्ता-मूल रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में शेष राशि का भुगतान करने के लिए छह सप्ताह की और अवधि बढ़ा दी है जो स्वीकृत ओटीएस योजना के तहत देय और देय थी जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2017 में स्वीकृत किया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

6.1 इसलिए, इस माननीय न्यायालय के विचार के लिए जो छोटा सवाल उठाया गया है, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वीकृत ओटीएस योजना के तहत स्वीकृत

ओटीएस योजना के तहत शेष राशि का भुगतान करने की अवधि को स्वीकृत ओटीएस योजना के तहत दिए गए समय से आगे बढ़ाने के लिए उचित है?

एफ.

6.2 उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते हुए हाल ही में लिया गया निर्णय

बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के मामले में यह न्यायालय

(ऊपर) को संदर्भित करने की आवश्यकता है।

6.3 बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के मामले में

जी.

(ऊपर) इस न्यायालय ने निम्नलिखित दो प्रश्नों का उत्तर दियाः"(i) क्या ओ. टी. एस. योजना के तहत लाभ को अधिकार के रूप में प्रार्थना की जा सकती है?;

(ii) क्या उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए परमादेश ए का एक रिट जारी कर सकता है।

एच.

1081

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम अरविंद इलेक्ट्रानिक्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ओ. टी. एस. योजना के तहत लाभ के अनुदान पर सकारात्मक रूप से विचार करने के लिए बैंक को निर्देश देना और वह भी ओ. टी. एस. योजना के तहत उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए?"

6.4 ओ. टी. एस. योजना के विस्तृत विश्लेषण पर, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि (i) कोई भी उधारकर्ता, एकमुश्त निपटान योजना के लाभ के लिए अनुदान के लिए अनुरोध नहीं कर सकता है; (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का उपयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, जिसमें वित्तीय संस्थान/बैंक को ऋणकर्ता को ओ. टी. एस. का लाभ सकारात्मक रूप से देने का निर्देश दिया गया है; (iii) ओ. टी. एस. योजना का लाभ अनुदान पात्रता मानदंड और समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अधीन है।

बी.

सी.

यद्यपि बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड **(**उपरोक्त**)** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को विशेष रूप से बैंक की ओर से सेवा में लगाया गया था और उच्च न्यायालय को इंगित किया गया था**,** इसके बजाय उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय का पालन किया।

बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (ऊपर) ने इसका पालन नहीं किया है।

डी.

यह देखते हुए कि सरदार एसोसिएट्स (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का पूर्व निर्णय अधिक विस्तृत है।हम उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह की टिप्पणी को स्वीकार नहीं करते हैं और इस न्यायालय के बाद के बाध्यकारी निर्णय का पालन नहीं करते हैं जो इस बिंदु पर था। बिन्दु/मुद्दे पर बाद का निर्णय होने के कारण, उच्च न्यायालय उसी का पालन करने के लिए बाध्य था।

ई.

अन्यथा भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सरदार एसोसिएट्स (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय तथ्यों पर अलग है।सरदार एसोसिएट्स (उपरोक्त) के मामले में यह पाया गया कि बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ओ. टी. एस. दिशानिर्देशों से विचलित है और इसलिए इस माननीय न्यायालय ने कहा कि आर. बी. आई. दिशानिर्देश बैंक के लिए बाध्यकारी हैं और बैंक ओ. टी. एस. पर आर. बी. आई. दिशानिर्देशों के तहत उधारकर्ता के मामले से निपटेगा। इसलिए, अन्यथा भी तथ्यों पर उक्त निर्णय बिल्कुल भी लागू नहीं था।

एफ.

6.5 वर्तमान मामले में दिनांक 21.11.2017 के स्वीकृत पत्र में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया था कि पूरा भुगतान 21.05.2018 द्वारा किया जाए।किश्तों के तहत भुगतान करने की अनुसूची का भी उल्लेख किया गया था।यह एक स्वीकृत स्थिति है कि उधारकर्ता ने स्वीकृत पत्र में उल्लिखित तिथि को या उससे पहले स्वीकृत ओटीएस योजना के तहत देय और देय भुगतान नहीं किया था।नौ महीने के विस्तार के लिए उधारकर्ता की प्रार्थना को 16.05.2018 पर खारिज कर दिया गया और उधारकर्ता को भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

जी.

एच.

रु. से। 21.05.2018 द्वारा 2.52 करोड़, उधारकर्ता भुगतान करने में विफल रहा।इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान बैंक द्वारा तीन अलग-अलग ओटीएस जारी किए गए थे और बैंक ने प्रतिवादी-उधारकर्ता को ओटीएस योजना के तहत बकाया भुगतान का निपटान करने की पेशकश की थी।हालांकि, उधारकर्ता ने किसी भी योजना का विकल्प नहीं चुना।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने 10.03.2022 से छह सप्ताह का और समय दिया है जो वर्ष 2018 में उधारकर्ता द्वारा अनुरोध किए गए समय से भी अधिक होगा।जैसा कि ऊपर देखा गया है कि वर्ष 2018 में 8 से 9 महीने की अवधि की मांग की गई थी और विवादित निर्णय और आदेश से उधारकर्ता को मई, 2022 तक का समय मिल गया है।अन्यथा बैंक की ओर से ओ. टी. एस. के तहत भुगतान को पुनर्निर्धारित करने का निर्देश देना अनुबंध में संशोधन के समान होगा जो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 62 के तहत आपसी सहमति से किया जा सकता है। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा ओ. टी. एस. योजना के तहत भुगतान को पुनर्निर्धारित करना और समय का विस्तार देना उस अनुबंध को फिर से लिखने के समान होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय अनुमत नहीं है।

बी.

सी.

डी.

6.6 यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मूल रूप से वर्ष 2017 में स्वीकृत ओ. टी. एस. योजना के तहत उधारकर्ता को Rs.13,99,89,273.99 के बकाया के बदले Rs.10,53,75,069.74 का भुगतान करना आवश्यक था।इसलिए, मूल स्वीकृत ओ. टी. एस. योजना के तहत उधारकर्ता को लगभग 3 करोड़ की पर्याप्त राहत मिल रही थी।बैंक ने दिनांकित 21.11.2017 पत्र में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर ओटीएस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और उसे स्वीकार कर लिया।दिनांक 21.11.2017 के स्वीकृत पत्र में खंड (iv) में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि ओटीएस योजना के तहत पूरा भुगतान 21.05.2018 द्वारा किया जाना था, अन्यथा ओटीएस को निष्फल कर दिया जाएगा।इसलिए, ऋणकर्ता स्वीकृत ओ. टी. एस. योजना के अनुसार भुगतान करने के लिए बाध्य थे।इसलिए, उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वीकृत ओ. टी. एस. योजना को और विस्तार नहीं देना चाहिए था।

ई.

एफ.

जी.

7. उधारकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ कि कुछ अन्य उधारकर्ताओं के मामले में समय बढ़ाया गया था, न तो यहाँ है और न ही वहाँ है।बैंक पारस्परिक रूप से उस समय को बढ़ाने के लिए सहमत

हो सकता है जो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 62 के तहत अनुमत है। अधिकार के रूप में उधारकर्ता यह दावा नहीं कर सकता है कि हालांकि उसने स्वीकृत ओटीएस योजना के अनुसार भुगतान नहीं किया है, फिर भी उसे आगे का विस्तार दिया जाए।

एच.

1083

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम अरविंद इलेक्ट्रानिक्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.]

अधिकार के रूप में।किसी भी नकारात्मक भेदभाव का दावा नहीं किया जा सकता है।उधारकर्ता को अधिकार के रूप में विस्तार का दावा करने के लिए अपने पक्ष में कोई भी अधिकार स्थापित करना होगा।

7.1 अब जहाँ तक अनु भल्ला (उपरोक्त) के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता का संबंध है, बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के सीधे निर्णय को देखते हुए, इस न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी होगा।

बी.

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारण के लिए, उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी-उधारकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओटीएस योजना के तहत शेष भुगतान करने के लिए और समय देने वाला विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द करने और अलग करने के योग्य है और तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।नतीजतन, प्रत्यर्थी-उधारकर्ता द्वारा दायर मूल रिट याचिका खारिज हो जाती है।

सी.

डी.

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.